

न्यायालय :-माखनलाल झोड, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट:  
:: श्रृंखला बैहर ::

**Case No. C.R.A./40/2017**

Filling No. -CRA/1725/2018

CNR-MP500-500-2522-2017

संस्थित दिनांक - 07.11.2017

रूपेन्द्र पिता बलराम पटले उम्र 43 वर्ष  
निवासी-ग्राम अरंडिया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट - - - अपीलार्थी

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र -परसवाड़ा  
तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - - - उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:- श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क. 221/2010 शासन विरुद्ध रूपेन्द्र निर्णय दिनांक 24.10.2017 से परिवेदित होकर यह दण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत की है}

=====

श्री एम0पी0 शरणागत अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी-रूपेन्द्र पटले।  
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

=====

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक **18 जनवरी 2018** को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 221/2010 म0प्र0 राज्य विरुद्ध रूपेन्द्र, निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 24.10.2017 को धारा 337 (दो शीर्ष) भा.द.दि. में 500/-रुपए, 500/-रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 304-ए भा.द.वि. में छः माह के साधारण कारावास एवं 5,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

2. स्वीकृत तथ्य यह है कि हीरालाल अ.सा.1, मेहताब सिंह अ.सा.2, भैयालाल अ.सा.3, गुरेन्द्र अ.सा.4, विश्वजीत अ.सा.5, फूलाबाई अ.सा.6, महिमाबाई अ.सा.8, नरेन्द्र उइके अ.सा.11, नंदलाल अ.सा. 12, रमेश उइके अ.सा.13, जागेश कटरे अ.सा.14, नंदराम अ.सा.15, नरेन्द्र पटले अ.सा.18, विशाल अ.सा.20 आप अभियुक्त को पहचानते हैं। घटनास्थल से संतलाल को परसवाड़ा अस्पताल लाए थे, बालाघाट ले गये फिर उसके बाद नागपुर रेफर किया गया था। घटना में हीरालाल के पैर, पसली में और जागेश के पैर में चोट आयी थी।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 30.01.2010 को ग्राम अरंडिया में संतलाल और संतोष एवं फरियादी नंदलाल नाई के घर के सामने खड़े थे, तभी रूपेन्द्र निवासी अरंडिया ने टाटा सूमो वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उन्हें टक्कर मार दी जिससे उसे व साथियों को चोट आयी, की रिपोर्ट लेख कराए जाने पर थाना परसवाड़ा के अपराध क्रमांक 06/2010 की कायमी कर, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। साक्षियों की साक्ष्य में अत्यधिक विरोधाभास है। साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। घटना के समय वाहन को अपीलार्थी नहीं चला रहा था, नरेन्द्र उइके हितबद्ध साक्षी है, सुनी-सुनाई साक्ष्य के आधार पर कथन किए हैं, घटना का समर्थन नहीं किया गया है, पर विश्वास कर गंभीर त्रुटि की है, डॉ. अवधेश कुमार गौर के द्वारा पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी. 9 के समर्थन में कथन किए गए हैं, पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वास कर गंभीर त्रुटि की है, विधिक सिद्धांतों के विपरीत निर्णय दण्डाज्ञा पारित कर त्रुटि की है, अपीलार्थी

की अपील स्वीकार कर पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा निरस्त किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 221/2010 शासन विरुद्ध रूपेन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 में क्या साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होने या तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष:-

6. हीरालाल अ.सा.1, मेहताब सिंह अ.सा.2, भैयालाल अ.सा.3, गुरेन्द्र अ.सा.4, विश्वजीत अ.सा.5, फूलाबाई अ.सा.6, डॉ. डी.के. राउत अ.सा.7, महिमाबाई अ.सा.8, भरतलाल अ.सा.9, डॉ. अवेधश कुमार गौर अ.सा.10, नरेन्द्र उइके अ.सा.11, नंदलाल अ.सा. 12, रमेश उइके अ.सा.13, जागेश कटरे अ.सा. 14, कप्तान सिंह अ.सा.15, महेश पटले अ.सा.16, मेहतर सिंह मेरावी अ.सा.17, नरेन्द्र पटले अ.सा.18, डॉ. आलोक नरेश उमरे अ.सा.19, विशाल अ.सा.20, गुरुवचन सिंह अ.सा.21 के न्यायालयीन कथनों का अध्ययन किया गया।

7. हीरालाल अ.सा.1 जो आहत और मौके का साक्षी है। श्रीमती महिला अ.सा.8, जागेश कटरे अ.सा.14 आहत, नरेन्द्र उइके अ.सा.11 पेशा ड्रायवर घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिनकी साक्ष्य पर विद्वान विचारण न्यायालय ने विश्वास कर अभियुक्त को धारा 337, 337 एवं 304-ए भा.द.वि. के अपराध में दंडित किया है।

8. अपीलार्थी अधिवक्ता श्री एम.पी. शरणागत ने इस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि प्र.पी. 12 वाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा रिपोर्ट है, जो अभियोजन पक्ष का दस्तावेज है और इस दस्तावेज के लेखकर्ता साक्षी महेश पटले पेशा आरक्षक अ.सा.16 अभियोजन का साक्षी है, पुलिस महकमें का व्यक्ति है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्र.पी. 12 के दस्तावेज और महेश अ. सा.16 के कथन को विचार में लिए बिना निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि हुई

है। श्री शरणागत अधिवक्ता ने इस न्यायालय से निवेदन किया है कि महेश ने शपथ पर न्यायालय के समक्ष कथन में स्पष्ट शब्दों में साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.02.2010 को वह थाना परसवाड़ा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी. 20 एच. 4532 टाटा सूमो का मैकेनिकल मुलाहिजा इस साक्षी ने किया था। परीक्षण में साक्षी ने वाहन का ब्रेक फेल होना और रेडिएटर जाली क्षतिग्रस्त होना पाया था शेष पुर्जे ठीक हालत में थे, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. श्री एम.पी. शरणागत अधिवक्ता ने निवेदन किया कि घटना के समय वाहन क्रमांक एम.पी. 20 एच. 4532 के ब्रेक फेल होना प्र.पी. 12 की रिपोर्ट के अनुसार अभिलेख का भाग है। किसी भी वाहन का यदि ब्रेक फेल हो जावे तो उस वाहन के चालक का नियंत्रण नहीं रह पाता है। श्री शरणागत अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ब्रेक फेल होने के आधार पर दुर्घटना हुई है उसमें अपीलार्थी की उपेक्षा या लापरवाही नहीं है। प्र.पी. 12 और महेश अ.सा. 16 के कथन से यह न्यायालय को निष्कर्षित करना चाहिए था कि यांत्रिकी त्रुटि के कारण दुर्घटना हुई है उसके लिए अपीलार्थी दोषी नहीं है। अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

10. राज्य की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. द्वारा तर्क कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अभिलेख के आधार पर उचित रूप से निष्कर्षित किया जाना निवेदन कर उसे यथावत रखे जाने की याचना की है।

11. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। इस निर्णय के पद क्रमांक 5 में नामित सभी साक्षियों के कथनों का अध्ययन कर विचार में लिया गया। महेश अ.सा. 16 के कथन के साथ प्र.पी. 12 की वाहन यांत्रिकी परीक्षण रिपोर्ट जिसका कोई खंडन अभिलेख पर नहीं है, के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि घटना के समय ब्रेक फेल रहने से अभियुक्त



अपीलार्थी वाहन को रोक पाने में असमर्थ था। अपीलार्थी के नियंत्रण में दुर्घटना को रोक पाना संभव नहीं था। अपीलार्थी के सामर्थ के बाहर की परिस्थिति में दुर्घटना होने से उसे धारा 279 भा.द.वि. के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता। परिणामतः दुर्घटना में संतलाल की हुई मृत्यु और हीरालाल, जागेश को हुई उपहति के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाना विधि अनुसार नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्य और विधि की त्रुटि की है। उक्त आधार पर प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2017 हस्तक्षेप योग्य है।

12. अतः प्र.पी. 12 और महेश अ.सा.16 की साक्ष्य के साथ अन्य सभी साक्षियों के कथनों को विचार में लेकर निष्कर्ष निकाले जाने की स्थिति में घटना के लिए अपीलार्थी की लापरवाही या उतावलापन न होने से निर्णय दिनांक 24.10.2017 में पारित दोषसिद्धि अभिखंडित की जाती है। परिणामतः पारित दण्डादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को धारा 337, 337 भा.द. वि. के अपराध हेतु 500/—रुपए, 500/—रुपए के अर्धदण्ड से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 304—ए भा.द.वि. के अपराध हेतु छः माह के कारावास और 5,000/—रुपए का अर्धदण्ड अपास्त कर दोषमुक्त किया जाता है।

13. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद क्रमांक 23485/52 दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अर्धदण्ड की राशि 6,000/—रुपए (छः हजार रुपए) जमा कर दी है, को अपील अवधि पश्चात् अपीलार्थी को ई-भुगतान द्वारा वापस की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

14. प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2017 के पद क्रमांक 34 को अपास्त किया जाता है।

15. धारा 454 द.प्र.सं. के अधीन प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2017 के पद क्रमांक 37 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने

की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

16. निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेख अभिलेख, अभिलेखगार भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

सही/—

सही/—

{माखनलाल झोड़}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट  
श्रृंखला बैहर

{माखनलाल झोड़}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट  
श्रृंखला बैहर